कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा / सी–5 / स्थानांतरण / 2019–20 / 1–575 दिनांक–29.09.2019 के तहत् कृष्ण कुमार यादव, व्याख्याता भूगोल राउमावि. भगेगा, सीकर का स्थानांतरण राउमावि धोबी, भादरा, हनुमानगढ़ किया गया। कृष्ण कुमार यादव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4079 / 2019 कृष्ण कुमार यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4079 / 2019 में माननीय सिविल सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.19 द्वारा अपिलार्थी कृष्ण कुमार यादव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए ।

माननीय सिविल सेवा अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी कृष्ण कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के पुत्र के कैंसर रोग से ग्रसित हाने एवं पिता के मस्तिष्क रोग के आधार पर अपना पदस्थापन यथावत अथवा राउमावि कुरबड़ा, सीकर / राउमावि दुधवालो का बास, सीकर / राउमावि रामपुरा बेगा की नागल, सीकर की परिवेदना प्रस्तुत की गई है ।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों / परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ह्रदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानातंरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान थे। अपिलार्थी इन में से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता हैं। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित / राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन / स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29 / 9 / 19 की अनुपालना में अपने स्थानातंरित स्थान राउमावि धोबी, भादरा, हनुमानगढ़ में दिनांक 06 / 12 / 2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्व राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / सी–5 / अभ्यावेदन / 19–20 **दिनांकः– 03 / 12 / 2019**

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कृष्ण कुमार यादव व्या. भूगोल के निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्व सीसीए नियमानन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग–प्रथम को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08. संबंधित प्राधानाचार्य / कार्मिक / रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान